बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०–05–07 / 2025..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 966 दिनांक 23.05.2022 द्वारा श्री दिगम्बर ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध आरोप–पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। उक्त आरोप–पत्र पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 719 दिनांक 12.09.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री ठाकुर से लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री ठाकुर द्वारा लिखित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया। श्री ठाकुर द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 117 दिनांक 16.02.2023, पत्रांक 386 दिनांक 18.05.2023 एवं पत्रांक 357 दिनांक 06.05.2024 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा से मंतव्य प्रतिवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन, श्री ठाकुर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उनके विरूद्ध आरोप की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री ठाकुर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने एवं आरोप की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 249 दिनांक 28.02.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री ठाकुर को अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नवादा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 249 दिनांक 28.02.2025, पत्रांक 634 दिनांक 27.06.2025 एवं पत्रांक 1249 दिनांक 27.11.2025 के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 1069 दिनांक 05.12.2025 द्वारा श्री ठाकुर के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके विरूद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 13 दिनांक 05.01.2026 द्वारा श्री ठाकुर से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्री ठाकुर के पत्रांक 34 दिनांक 30.01.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

आरोपी पदाधिकारी, श्री ठाकुर के विरूद्ध आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ठाकुर से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत वस्तुस्थिति निम्नवत् है:–

1. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना), नवादा सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के विभागीय पक्ष से स्पष्ट है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा (श्री दिगम्बर ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोविंदपुर, नवादा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त एवं श्री प्रमोद कुमार झा, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पकरीबरावाँ, नवादा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त) के पत्रांक–कैम्प 02 दिनांक 27.03.2021 द्वारा तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नवादा को संयुक्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था। उक्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि आवेदिका शाहीन प्रवीण एवं तमन्ना प्रवीण पिता–मो० हलीमउद्दीन के द्वारा दायर परिवाद संख्या 27/2012 एवं 28/2012 में जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, नवादा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2013 में प्राधिकार के समक्ष शाहीन प्रवीण की स्वीकारोक्ति है कि समय–सीमा के अन्दर नियोजन इकाई के पास आवेदन पत्र नहीं दिया गया था एवं उक्त परिवाद को अस्वीकृत किया गया था। यह मामला प्रखण्ड नियोजन इकाई, नवादा सदर से संबंधित है।

प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, नवादा पूर्वी के पत्रांक 371 दिनांक 10.07.2009 के आलोक में मो० इफ्तेखार अहमद शहनवाज एवं मो० इस्तेयाक अहमद औरंगजेब दोनों के मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्रों का सत्यापन सचिव, परीक्षा नियंत्रक, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से कराया गया, जो सत्य पाया गया।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर के पत्रांक 1957 दिनांक 03.11.2009 द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि उर्दू पद के कम अंक वाले 07 शिक्षकों में 03 पंचायत शिक्षक शायदा अंजुम प्रवीण, शकील अहमद एवं जुल्फकार अहमद मोहसिन को पद से हटा दिया गया था और 04 शिक्षक ताहिरा बानो, नाहिद तब्बसुम, शमीमा खातून एवं आदित हुसैन द्वारा स्वयं त्याग पत्र दिया गया था। उक्त दोनों शिक्षकों का नाम अंकित नहीं है।

कुमकुम श्रीवास्तव, तत्कालीन विकास पदाधिकारी, नवादा सदर के पत्रांक 823 दिनांक 06.03.2012 द्वारा अपर समाहर्ता, नवादा को प्रेषित पत्र में अंकित किया गया कि आवेदिका शाहीन प्रवीण एवं तमन्ना प्रवीण परिवादी है। तत्संबंधी प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि शाहीन प्रवीण एवं तमन्ना प्रवीण द्वारा पंचायत शिक्षिका के पद पर नियोजन हेतु आवेदन के आलोक में संबंधित पंजिओं, संचिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ कि दानों आवेदिका काउंसिलिंग के लिये नियोजन समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुई थीं, इस कारण न तो मेधा सूची में और न ही प्रतीक्षा सूची में इन दोनों का नाम दर्ज है। आवेदिका द्वारा लगाया गया आरोप कि एक ही परिवार के पाँच व्यक्तियों का चयन किया गया, जाँच में यह सत्य नहीं पाया गया। आवेदिका का अन्य आरोप कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अंक पत्र में 75% से 86% अंक दिखाकर कर बहाली कर ली गयी। इस संबंध में 07 शिक्षक फर्जी पाए गए, जिसमें 03 शिक्षक को नियोजन इकाई द्वारा हटा दिया गया एवं 04 शिक्षक स्वयं त्याग पत्र देकर चले गए।

संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आरोपी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, नवादा के परिवाद संख्या 27/2012 एवं 28/2012 में प्रखंड शिक्षक नियोजन के संदर्भ मे पारित आदेश दिनांक 04.04.2013 और पूर्व में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर के पत्रांक 1957 दिनांक 03.11.2009 एवं पत्रांक 823 दिनांक द्वारा अपर समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, नवादा को समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन दिनांक 27.03.2021 समर्पित किया गया था।

परिवाद की अनन्य सं० 99990111102128606/1ए० में प्रमण्डलीय आयुक्त–सह–प्रथम अपीलीय प्राधिकार, मगध प्रमण्डल, गया के द्वारा दिनांक 30.08.2022 को पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक 1035 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदनानुसार मो० इश्तेयाक अहमद औरंगजेब, पिता–वशी अहमद शाह एवं मो० इफ्तेखार अहमद शहनवाज, पिता–वसी अहमद शाह के द्वारा नवादा सदर और ग्राम पंचायत–भदौनी दोनों नियोजन इकाई में आवेदन दिया गया था। नवादा सदर की आवेदन संग्रह–पंजी में दोनों अभ्यर्थियों का अंक प्रतिशत 85.75 दर्ज था। ग्राम पंचायत–भदौनी की अंतिम मेधा सूची में इन दोनों का अंक प्रतिशत भी 85.75 था।

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वय के द्वारा उक्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी द्वारा विपक्षी शिक्षक पर लगाया गया आरोप निराधार परिलक्षित होता है। उक्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आरोपी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी द्वय द्वारा जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, नवादा के परिवाद संख्या 27/2012 एवं 28/2012 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2013 और पूर्व में तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवादा सदर के उक्त पत्रांक 1957 दिनांक 03.11.2009 एवं पत्रांक 823 दिनांक 06.03.2012 के द्वारा अपर समाहर्ता–सह–नोडल पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, नवादा को समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वय के द्वारा पूर्व के जाँच प्रतिवेदन पर विश्वास व्यक्त कर चूक किया गया और अपना प्रतिवेदन दिया गया। उक्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन को आरोपी पदाधिकारी द्वारा दोनों नियोजन इकाई, नवादा सदर एवं ग्राम पंचायत–भदौनी शरीफ, से संपर्क स्थापित कर अभिलेख के अनुसार अपना प्रतिवेदन दिया जाना चाहिये था, जबकि आरोपी पदाधिकारी, श्री ठाकुर द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार उक्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन पर विश्वास कर आरोपी पदाधिकारी, श्री ठाकुर द्वारा कर्त्तव्य चूक की गई।

2. दैनिक समाचार पत्र ''सफर तक न्यूज'' में प्रकाशित समाचार में आरोपी पदाधिकारी श्री ठाकुर का वीडियो वायरल होने के कारण शिक्षकों द्वारा विरोध किया गया। शिक्षकोपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आरोपी पदाधिकारी, श्री ठाकुर द्वारा शिक्षकों से राशि की मांग की गई; परंतु आरोपी पदाधिकारी को शिक्षकों द्वारा राशि दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी, श्री ठाकुर का व्यवहार शिक्षकों के प्रति सकारात्मक नहीं था।

उक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी, श्री ठाकुर द्वारा सरकारी कार्यों में उदासीनता तथा अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है।

अतः समीक्षोपरांत श्री दिगम्बर ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध "तीन वर्ष के लिए 05% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री ठाकुर की सेवा पुस्त में की जायेगी।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–

(विक्रम विरकर)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–08/आ०–05–07/2025–532/ पटना, दिनांक– 21.07.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेंशन शाखा (प्रशाखा–17)/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया–सह–संचालन पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नवादा– सह–उपस्थापन पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री दिगम्बर ठाकुर, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)।